सत्यमेव जयते

THE
JHARKHAND GAZETTE
EXTRAORDINARY
PUBLISHED BY AUTHORITY

12 CHAITRA 1948 (S)

No. 124

RANCHI THURSDAY 2nd APRIL,20 26

COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT

NOTIFICATION
2nd April,20 26

Notification No.- 19/2025 – State Tax

S.O. No. 54, Dated 30th March, 2026 :- In exercise of the powers conferred by sub-section (5) of section 15 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of Jharkhand in the Commercial Taxes Department, No. 49/2023-State Tax, dated the 29th February, 2024 published in the Gazette of Jharkhand, Extraordinary, *vide* S.O. No. 53, dated the 29th February, 2024, namely: —

In the said notification, after clause (iii), the following clause shall be inserted, namely: —

"(iv) supply of the following goods bearing the description specified in column (3), falling under the corresponding Chapter/ heading/ sub-heading/ tariff item specified in column (2), of the Table below, on which retail sale price is declared : -

Table

S. No.	Chapter / Heading / Sub-heading / Tariff item	Description of Goods
(1)	**(2)**	**(3)**
1.	2106 90 20	Pan masala
2.	2401	Unmanufactured tobacco; tobacco refuse [other than tobacco leaves]
3.	2402	Cigars, cheroots, cigarillos and cigarettes, of tobacco or of tobacco substitutes
4.	2403	Other manufactured tobacco and manufactured tobacco substitutes; "homogenised" or "reconstituted" tobacco; tobacco extracts and essences (other than biris)
5.	2404 11 00	Products containing tobacco or reconstituted tobacco and intended for inhalation without combustion
6.	2404 19 00	Products containing tobacco or nicotine substitutes and intended for inhalation without combustion

Explanation. - For the purposes of this clause, —

(a). "retail sale price" means the maximum price declared on goods at which such goods in packaged form may be sold to the ultimate consumer and includes all taxes, duties, surcharge or cess, by whatever name called;

(b). where on the package of any specified goods more than one retail sale price is declared, the maximum of such retail sale price shall be deemed to be the retail sale price;

(c). where the retail sale price declared on packages of any specified goods is altered to increase the retail sale price at any stage before, during, or after the supply, such altered retail sale price shall be deemed to be the retail sale price;

(d). where different retail sale prices are declared on different packages for the sale of any specified goods above in packaged form in different areas, each such retail sale price shall be the retail sale price for the purposes of valuation of the specified goods intended to be sold in the area to which the retail sale price relates.

(e). "tariff item", "heading", "sub-heading" and "Chapter" shall mean respectively a tariff item, heading, sub-heading, and Chapter as specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975);

(f). the rules for the interpretation of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), including the Section and Chapter Notes and the General Explanatory Notes of the First Schedule shall, so far as may be, apply to the interpretation of this clause."

2. This notification shall be deemed to be effective from the 1st day of February 2026.

File. No. Va.Kar/GST/02/2025]
By the order of the Governor of Jharkhand,

Ameet Kumar
Commissioner,
Commercial Taxes Department

Note: The principal notification was published in the Gazette of Jharkhand, Extraordinary, vide notification No. 49/2023-State Tax, dated the 29th February, 2024, published *vide* S.O. No. 53, dated the 29th February, 2024.

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

अधिसूचना सं०. 19/2025- राज्य कर

एस. ओ. सं. **54,** दिनांक **30 मार्च, 2026** ,झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 15 की उप-धारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, झारखण्ड सरकार, माल और सेवा कर परिषद् की सिफारिशों पर, झारखण्ड सरकार के वाणिज्य-कर विभाग की अधिसूचना संख्या 49/2023- राज्य कर, दिनांक 29 फरवरी, 2024 (जो भारत के राजपत्र, असाधारण, में एस. ओ. सं. 53, दिनांक 29 फरवरी, 2024 के अंतर्गत प्रकाशित की गई थी) में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में, खंड (iii) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(iv) निम्नलिखित माल जिन पर खुदरा विक्रय मूल्य घोषित है, की आपूर्ति, जिनका विवरण नीचे दी गई तालिका के स्तंभ (3) में दिया गया है और जो तालिका के स्तंभ (2) में निर्दिष्ट संगत अध्याय/शीर्षक/उप-शीर्षक/शुल्क वस्तु के अंतर्गत आते हैं:—

तालिका

क्र. सं.	**अध्याय/ शीर्षक/ उप-शीर्षक/ शुल्क वस्तु**	**माल का विवरण**
(1)	(2)	(3)
1.	2106 90 20	पान मसाला
2.	2401	अवनिर्मित तंबाकू; तंबाकू उच्छिष्ट [तंबाकू के पत्तों को छोड़कर]
3.	2402	सिगार, चेरूट, सिगारिलो और सिगरेट, तंबाकू या तंबाकू के विकल्प से बनी
4.	2403	अन्य निर्मित तंबाकू और निर्मित तंबाकू विकल्प; "समांगीकृत" या "पुनरचित" तंबाकू; तंबाकू निष्कर्ष और सत्व (बीड़ी को छोड़कर)
5.	2404 11 00	तंबाकू या पुनरचित तंबाकू युक्त माल और दहन के बिना श्वसन के लिए अभिप्रेत
6.	2404 19 00	तंबाकू या निकोटीन विकल्प युक्त माल और दहन के बिना श्वसन के लिए अभिप्रेत

स्पष्टीकरण.— इस खंड के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "खुदरा विक्रय मूल्य" का तात्पर्य माल पर घोषित अधिकतम मूल्य से है जिस पर ऐसा माल पैकिंग में रूप में अंतिम उपभोक्ता को विक्रय के लिए हो सकता है और इसमें सभी कर, ड्यूटी, अधिभार या उपकर सम्मिलित हैं, चाहे वे किसी भी नाम से पुकारे जाएं;

(ख) जहां किसी निर्दिष्ट माल के पैकेज पर एक से अधिक खुदरा विक्रय मूल्य घोषित किए गए हों, वहां ऐसे खुदरा विक्रय मूल्यों में से अधिकतम को खुदरा विक्रय मूल्य माना जाएगा;

(ग) जहां किसी निर्दिष्ट माल के पैकेज पर घोषित खुदरा विक्रय मूल्य को आपूर्ति से पहले, दौरान या उसके पश्चात् किसी भी अवस्था में खुदरा विक्रय मूल्य में वृद्धि के लिए बदल दिया गया हो, वहां ऐसे परिवर्तित खुदरा विक्रय मूल्य खुदरा को विक्रय मूल्य माना जाएगा;

(घ) जहां किसी निर्दिष्ट माल के पैकेज पर विभिन्न क्षेत्रों में पैकिंग के रूप में विक्रय के लिए विभिन्न खुदरा विक्रय मूल्य घोषित किए गए हों, वहां प्रत्येक ऐसा खुदरा विक्रय मूल्य उस क्षेत्र के लिए निर्दिष्ट माल के मूल्य निर्धारण के प्रयोजनों के लिए खुदरा विक्रय मूल्य होगा जिससे यह खुदरा विक्रय मूल्य संबंधित है।

(ङ) "शुल्क वस्तु", "शीर्षक", "उप-शीर्षक" और "अध्याय" का अर्थ क्रमशः सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची में निर्दिष्ट शुल्क वस्तु, शीर्षक, उप-शीर्षक और अध्याय है;

(च) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची की व्याख्या के नियम, जिनमें प्रथम अनुसूची की खंड और अध्याय की टिप्पणियां तथा सामान्य व्याख्यात्मक टिप्पणियां शामिल हैं, इस खंड की व्याख्या के लिए, जहां तक हो सके, लागू होंगे।"

2. यह अधिसूचना 1 फरवरी, 2026 से लागू मानी जाएगी।

[सं.सं.वा0कर/जी0एस0टी0/02/2025]
झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

अमीत कुमार
आयुक्त,
वाणिज्य-कर विभाग ।

टिप्पणी:— मूल अधिसूचना संख्या 49/2023- राज्य कर, दिनांक 29 फरवरी, 2024 को झारखण्ड के राजपत्र, असाधारण, में एस. ओ. सं. 53, दिनांक 29 फरवरी, 2024 के अंतर्गत प्रकाशित की गई थी।

Printed & Published by the Superintendent of Jharkhand Government Press, Doranda, Ranchi.
Jharkhand Gazette (Extraordinary) 124-- 50.